

शर्त:-

- 1:- पञ्चागण को स्थल पर ① पैड लजाना होगा।
- 2:- पूड़ा संचयन को पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।
- 3:- स्थल पर निर्मित सब संचालित पुरानी दुकानों को पूर्ण रूप से हटाने करने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा, अन्यथा पञ्चागण का भाग्य स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 4:- बेसमेंट में वेस्टिंग को व्यवस्था में केजिकल होना मान्यता में दर्शा है। इसके सुनिश्चित करना होगा तथा बेसमेंट जो बिल्डिंग लाइने से अधिक पर बनी है, उसे स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
- 5:- मू-स्वास्तिव्य सब रास्ता सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में प्रस्तुत मान्यता स्वतः अस्वीकार माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पञ्चागण की होगी।
- 6:- पञ्चागण को निर्माण के समय भालवा अपने मुरबण्ड पर रखना होगा।
- 7:- निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8:- विद्युत बिमाओ के पत्र दिनांक:- 19/6/15 व आगिन शमन के पत्र दिनांक:- 11/6/15 के शर्तों का पालन करना होगा।
- 9:- पञ्चागण द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक:- 30/9/15 का पालन करना होगा।
- 10:- सविद्य से यदि कोई देयता बनती है तो शपथकर्ता गण द्वारा देय होगा।

MRC  
09/10/15  
वि-माओ को

09/10/15  
09/10/15

उत्तर अभियन्ता (भवन)  
विभाग अधिकरण, वाराणसी।